समलैंगिकता और न्यायालय का निर्णय

हजारो वर्श से यह बहस चली आ रही है कि व्यक्ति और समाज के बीच व्यक्ति स्वातंत्र और सामाजिक नियत्रंण के बीच का अनुपात क्या है और उसकी सीमा रेखा क्या हो? समाज के लोग व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलो मे नैतिकता की दुहाई देकर अधिक नियंत्रण करना चाहते है जबकि व्यक्ति ऐसे नियंत्रण को तोड कर अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहता है । व्यक्ति की कामवासना पूर्ति इस सीमा रेखा निर्धारण मे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। या यॅू कहे कि व्यक्ति और समाज के बीच टकराव मे इस प्रवृति का सबसे अधिक योगदान रहता है तो कोई अतिषयोक्ति नही होगी।

व्यक्ति की कामवासना की पूर्ति का सबसे अच्छा माध्यम स्त्री और पुरूश के बीच आपसी संयोग को माना जाता है । इस से अच्छा कोई अन्य आधार इसलिये नही है कि इससे एक ही क्रिया से दो लोगो की इच्छा पूर्ति हो जाती है तथा आवष्यकता अनुसार सन्तानोत्पति के द्वारा श्रृश्टि का विस्तार होता रहता है जो किसी और माध्यम से संभव नही है। स्त्री पुरूश के बीच की इस क्रिया को व्यवस्थित और संगठित स्वरूप देने के लिए समाज ने विवाह के नाम पर एक व्यवस्था बनाई है। और इस तरह विवाह के माध्यम से सामाजिक पारिवारिक छूट प्राप्त इस क्रिया को पवित्र और धार्मिक कार्य माना जाता है । पति पत्नी के संबंधो के अतिरिक्त होने वाली इस क्रिया को असामाजिक अवैध और अनैतिक मानकर अनुचित धोशित किया गया है। यदि यह क्रिया स्त्री पुरूश के बीच बिना सहमति के बल पूर्वक की जाती है तो उसे समाज विरोधी कार्य या गंभीर अपराध मानकर राज्य द्वारा दण्डित कराने की व्यवस्था बनी हुई है।

स्त्री पुरूश के बीच होने वाली इस क्रिया के अतिरिक्त कामवासना के जो भी माध्यम होते है वे सब अनैतिक असामाजिक और अवांछनीय माने जाते है। इन क्रियाओ मे समलैंगिकता या पषु उपयोग या अन्य प्रकार की क्रिया षामिल हैं। ऐसी सब प्रकार की क्रियाओ को समाज मे एक बुरा कार्य माना जाता है यधपि बलप्रयोग न होने के कारण ये क्रियाऐ अपराध की श्रेणी मे हो या न हो इस पर बहस चलती रहती है। आज के तथा कथित समाज षास्त्री इन अवैध क्रियाओ को अपराध धोशित कराने के लिए लगातार प्रयत्न षील रहते है तथा तथाकथित मानवतावादी लोग इसे व्यक्ति स्वातंत्र का नाम देकर इन अवैध क्रियाओ को वैध कराने का प्रयत्न करते रहते है।

प्राचीन समय मे बलात्कार के अतिरिक्त अन्य सभी वैध अवैध कामक्रियाओ को राज्य हस्तक्षेप से दूर रखा जाता था और समाज इन को प्रोत्साहित निरूत्साहित करता रहता था। किन्तु सौ डेढ सौ वर्श पूर्व इंगलैण्ड की राज्य व्यवस्था को यह भ्रम हुआ कि राज्य ही समाज का एकमात्र वैध प्रतिनिधि है इसलिए राज्य को यह अधिकार है कि वह समाज की हर अनुचित गति विधि के विशय के कानून बनावे भले ही वह गतिविधि अपराध केश्रेणी मे आवे या न आवे और ऐसा मानकर राज्य ने बलात्कार के साथ साथ समलैंगिकता को अपराध के श्रेणी मे षामिल कर लिया और उसके लिए दण्ड का प्रावधान कर दिया। वही से यह बहस षुरू हुई कि अप्राकृतिक मैथुन अपराध होना चाहिए कि नही। इस संबंध मे पषु या अन्य कुछ कहने की स्थिति मे नही थे लेकिन मनुश्य ने समलैंगिकता के कानून से बचने की आवाज जारी रखी। भारतीय संविधान निमार्ताओ की अपने स्वयं कीसोच तो कुछ थी नही। उन्होने स्वतंत्रता के बाद इंगलैण्ड की नकल की और उसके अच्छे या बुरे प्रावधानो को जारी रखा । कुछ वर्श पहले इंगलैण्ड ने अपने कानूनो मे समलैंगिकता के संबंध मे संषोधन कर दिया किन्तु भारतीय कानून व्यवस्था समाज की नैतिकता को ध्यान मे रखते हुए ऐसे संषोधन से सहमत नही हुई और इसी कारण भारत मे बहस चलती रही। पिछले दिनो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका मे निर्णय देते हुऐ समलैगिकता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वीकार करते हुऐ उसे वैध धोशित कर दिया। सरकार मे भी इस विशय पर गंभीर सोच विचार चल रहा था तभी कोर्ट का निर्णय आ जाने से यह मामला गंभीर विचार मंथन का मामला बन गया। सभी प्रकार के धर्म षास्त्री न्यायालय के विरूध मैदान मे आ ये। ईसाई धर्म गुरू और मुस्लिम धर्म गुरू तो इसके विरोध मे थे ही, हिन्दु धर्म गुरूओ ने भी एक स्वर से इस कानूनी संषोधन का विरोध करना षुरू कर दिया इस विरोध के स्वर मे उन संस्थाओ के प्रमुख लोग भी बढ चढ कर हल्ला करने लगे जिन संस्था मे विवाह की अनुमति न होने के कारण समलैंगिकता मजबूरी के रूप मे बडी मात्रा मे उपयोग मे आती रहती है। देष के कई अच्छे अच्छे ख्याति प्राप्त सामाजिक या राजनैतिक प्रमुखो के बारे मे गुप्त रूप से ऐसा करने की बात आम लोग जानते है। फिर भी इस अनैतिक कार्य को नैतिक मान लिया जाये इसके लिये भारत का आम जनमानस तैयार नही हुआ। इसलिये यह बहस ज्यादा गंभीर हो गई कि समलैगिकता को नैतिक धोशित किया जाये या अपराध की श्रेणी मे रखा जाये।

पचासो वर्शो से मेरा स्पश्ट मत रहा है कि विवाहेतर यौन क्रिया अनैतिक कार्य है। उसमे समलैगिकता भी षामिल है। इस अनैतिक कार्य को नैतिकता

का जामा पहनाना सर्वथा अनुचित है। स्त्री पुरूश की आपसी संबंधो के अतिरिक्त अन्य यौन क्रियाये नैतिक मानी ही नही जा सकती। स्त्री पुरूश के संबंधो मे भी पति पत्नी के संबंधो को छोड कर अन्य योन क्रिया अनैतिक ही है। इस आधार पर मेरा स्पश्ट मत है कि समाज द्वारा स्वीकृत विवाह के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की योन क्रिया को प्रोत्साहित नही किया जा सकता है बल्कि निरूसाहित ही करना चाहिए । समलैंगिकता को प्रोत्साहित करने वाले या वैध धोशित कराने वाले पूरी तरह असामाजिक दिषा मे प्रयत्न षील है। मै ऐसे प्रयत्नो के विरूध हूॅ दूसरी और बलात्कार को छोडकर सभी प्रकार की यौन क्रिया अनैतिक तो हो सकती है किन्तु अपराध नही। कानून के द्वारा ऐसे अनैतिक कार्य को रोकने का समर्थन करने वाले लोग या तो नासमझ है या असक्षम है। जिन धर्म प्रमुखो का समाज पर कोई प्रभाव नही है, जिनके प्रयत्नो से समाज मे नैतिकता विस्तार पर कोई असर नही पड रहा है। वे अपने आभा मण्डल को बनाये रखने के लिए ऐसे कार्यो पर रोक लगाने मे कानून का सहारा लेने का प्रयत्न करते रहते है । सच्चाई यह है कि ऐसे धर्माचार्य ही समाज को राज्य का गुलाम बनाकर रखने की पृश्ठ भूमि बनाते रहते है। मुस्लिम धर्म गुरूओ की चर्चा व्यर्थ है क्योकि वे तो राज्य , धर्म, समाज, का अन्तर ही नही समझते है किन्तु हिन्दू धर्म गुरू भी इस राह पर चलने लगते है तो कश्ट होता है। समलैंगिकता अनैतिक है और निरूत्साहित करना चाहिए । किन्तु यह कार्य राज्य का नही समाज का है। राज्य के द्वारा समाज के कार्यो मे हस्तक्षेप हमेषा समस्या पैदा करता है। इस मामले मे ऐसा हो रहा है इसलिये मेरा मत है कि समलैंगिकता के कानून के विरोध मे न्यायालय ने निर्णय दिया है वह पूरी तरह तर्क संगत है। इससे सामाजिक षक्ति मजबूत होगी किन्तु न्यायालय के इस निर्णय को समलैंगिकता का साथ मानना एक बडी भूल होगी और इस भूल से बचा जाना चाहिए। समलैंगिकता अनैतिक है, अनुचित है, अपराध नही।

समलैगिकता के सम्बध मे मेरे पूर्व विचार मैने व्यक्त किये है मैने बहुत वर्शो की सोच के अनुरूप व्यक्त किये है । महिला और पुरूश को अलग अलग न मानकर एक सयुक्त ईकाई के रूप मे मानता रहा हूॅ। मैने वैस्यावृति तक को अपराध नही माना और उसे अनैतिक कार्य मानकर अपराध से अलग करने का सुझाव दिया था। महिला और पुरूश के बीच के संबंधों पर मैने ज्ञान तत्व 143 मे 2 लेख लिखा था जो इस अंक मे फिर से दिया जा रहा है। जिससे इस गंभीर विचार मंथन के क्रम मे मेरे विचार स्पश्ट हो सके लेख इस प्रकार है।

महिला सषक्तीकरण कितनी समस्या कितना समाधान

समाज मे षराफत और धुर्तता के बीच हमेषा ही टकराव रहा है। षरीफ लोगो की औसत संख्या अठान्नवे प्रतिषत और अपराधी धूर्तो की दो के आस पास होती है। ये दो प्रतिषत लोग स्वय को सुरक्षित बनाये रखने के लिए वर्ग निर्माण का सहारा करते है। यह वर्ग निर्माण ऐसे तत्वो को छिपने के भी अवसर प्रदान करता हैऔर अटठान्वे प्रतिषत लोगो को कई वर्गो मे बाटकर उनमे आपसी वर्ग संधर्श कराने के भी अवसर पैदा करता है। अपराधियो की यह चालाकी हजारो वर्शो से चली आ रही है और आज तो और भी त्रीव गति से बढ रही है भले ही उसका स्वरूप कुछ बदल गया हो।

समाज के प्राकृतिक स्वरूप मे महिलाओ की आबादी लगभग पचास प्रतिषत मानी जाती है। समाज विस्तार के लिए महिला और पुरूश की एकाकार जीवन सहभागिता अनिवार्य होती है जिसे परिवार कहते है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज के बीच परिवार एक अनिवार्य कडी के रूप में है जिसे व्यवस्था से बाहर करना संभव नही। व्यवस्था के तीन अंग होते हुए भीयह आवष्यक है कि तीनो का अपना – अपना अस्तित्व भी बना रहे और तीनो का सामूहिक अस्तित्व भी। यही एक जटिल कार्य है जिसे व्यवस्था कहते है और वह व्यवस्था तोडकर वर्ग निर्माण करने का अपराधियो का प्रयत्न हमेषा जारी रहता है।

महिलाओ की षारीरिक संरचना और पारिवारिक पृश्ठभूमि के आधार पर स्वाभाविक कार्य विभाजन मे व्यवस्था मे पुरूश की भूमिका मुखिया की रही है। धूर्तो ने इस मुखिया की भूमिका को मालिक की भूमिका मे बदलकर महिलाओ को एक गुलाम वर्ग के रूप मे स्थापित किया। महिलाओ के समान अधिकारोमे कटौती की गई। कार्य विभाजन मे भी कही भी महिलाओ के साथ असमानता नहीथी लेकिन अधिकार विभाजन मे पुरूशो ने भेदभाव षुरू कर दिया। परिवार मे सम्पत्ति का विभाजन इस प्रकार किया गया कि उसमे से महिलाओ को बिल्कुल बाहर कर दिया जावे। सबसे सरल और और स्वाभाविक सम्पत्ति विभाजन परिवार के प्रत्येक सदस्य का सम्पत्ति मे समान अधिकार होता किन्तु उसे बहुत जटिल बनाकर पुरूशो ने अपना एकाधिकार बनाने का प्रयत्न किया। इस्लामिक समाज व्यवस्था ने तो इससे भी आगे बढकर महिलाओ की गवाही को ही पुरूशो से आधे महत्व की मान लिया और रही सही कसर तलाक के एक पक्षीय पुरूश अधिकार ने पूरी कर दी। पुरूशो ने अधिकार विभाजन मे अपने को एक वर्ग के रू‍प मे स्थापित करने का पूरा प्रयत्न किया।

इसके धातक परिणाम होने ही थे। पुरूश और महिला दो वर्ग के रूप मे स्थापित होने लगे । दोनो के बीच षोशक और षोशित की पहचान बनने लगी। महिलाओ मे हीन भाव और पुरूशो मे उच्च भाव बढा। ऐसे समय मे समाज के षुभचिन्तको ने महिला पुरूश समानता की आवाज उठाई जो स्वाभाविक भी थी और उचित भी। इस समान अधिकार के लिए समाज में सोच भी बढनी षुरू हुई थी। स्वामी दयानन्द, महात्मा गांधी आदि ने पुरूशों की सोच बदलने का प्रयास किया जिसके अच्छे परिणाम आने षुरू हुए। अपराधी तत्वों को चिन्ता हुई। उन्होने समान अधिकार के लिए सामाजिक प्रयत्नों में सहयोग के विपरीत महिलाओं को विषेश अधिकार दिलाने का आंदोलन षुरू किया। महिलाओं को संगठित किया जाने लगा। महिलाओं को पुरूशों के विरूद्ध वर्ग के रूप में अधिकार जागरूक किया जाने लगा। महिला जागृति आंदोलनों से महिलाओं पर पुरूशों का अत्याचार कम हुआ। किन्तु समाज व्यवस्था भी कमजोर हुई और परिवार व्यवस्था भी। सबसे बडा खतरा यह पैदा हुआ कि समाज व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था का हस्तक्षेप बढने लगा और बढते–बढते उसने एक समस्या का रूप ले लिया।

राजनैतिक कानूनी हस्तक्षेप के आधार पर महिलाओं को विषेश अधिकार दिये जाने लगे। दहेज, बाल विवाह, पारिवारिक हिंसा, महिला उत्पीडन आदि के नाम पर नये–नये कानून बनने लगे। महिला सषक्तीकरण के नाम पर उन्हें वर्ग के रूप में विषेश अधिकार दिये जाने लगे। दहेज या बलात्कार जैसे मामलों में उसकी गवाही को विषेश महत्व दिया जाने लगा। धूर्त महिलाए ऐसे विषेश अधिकारों का दुरूपयोग करने लगी और धीरे धीरे धूर्त पुरूश भी ऐसी महिलाओं कों आगें करके षरीफ परिवारों के विरूद्ध अत्याचार करने लगें। दहेज के नाम पर अनेक परिवारों को मामूली प्रकरणों में गंभीर यातनाएं भोगनी पडी। मैं ऐसे अनेक प्रकरण व्यक्तिगत रूप से जानता हूॅ। हमारे क्षेत्र की महिला अधिकारी को एक वरिश्ठ नेता ने किसी बात पर ट्रान्सफर कराने की धमकी दी। उस अधिकारी महिला ने उक्त नेता को कहा कि , सुन रे नेता, तुम तो पता नहीं कुछ कर सकेगा या नहीं किन्तु मै तो तुझे लम्बे समय तक तुरन्त ही जेल में रहने की व्यवस्था कर सकती हूॅ। तेरी जमानत भी नहीं होगीं। मै आदिवासी भी हूॅ और महिला भी। साथ में अविवाहित भी हूॅ। एक बार चिल्ला देना ही तेरे लिए काफी है, क्योकि तुम अभी मेरे घर में बैठे हो । मेरे घर के पडोस के एक आत्महत्या के प्रकरण को दहेज के साथ जोडने के झूठे प्रयास के मुकदमें का निर्णय करने वाले न्यायाधीष ने स्वयं ही अफसोस व्यक्त करते हुए मुझे बताया कि पूरा प्रयास

करने के बाद भी वह उक्त प्रकरण में सजा नहीं दे सका इसका उसे मलाल है। अन्यथा वह तो महिला उत्पीडन के प्रकरण छोडता ही नहीं। अभी कुछ दिन पूर्व एक धूर्त ने अपने दामाद पंकज और उसके पूरे परिवार को दहेज हत्या के आरोप में जेल भिजवा दिया। बाद में उसने अपनी लडकी का विवाह नोयडा के प्रभात कुमार के साथ कर दिया। ये दोनों पति पत्नी नया घर बसा कर रहने लगे और उसका पूर्व पति और उसका परिवार दहेज हत्या के जुर्म में जेल काटने लगा। मैने अपने क्षेत्र के आस पास सर्वे करके पाया कि धूर्त लोग झूठे दहेज प्रकरणों का सहारा लेना बहुत सुविधाजनक समाधान मानने लगे है।

मैं प्रारम्भ से ही इस विचार का रहा हूॅ जिसमें महिलाओ को एक वर्ग के रूप में स्थापित करना या मजबूत करना अनावष्यक भी है और घातक भी। मैंने हमेषा ही महिला आरक्षण को इस आधार पर एक शड्यंत्र माना कि इससे रोजगार या राजनीति का कुछ सक्षम परिवारों के बीच केन्द्रीयकरण होगा अर्थात यदि एक सौ रोजगारों में पहले साठ परिवारों के लोग षामिल थे तो अब महिला आरक्षित रोजगार व्यवस्था में वह संख्या तैंतालीस परिवारों तक सिमट जायेगी। यही हाल राजनीति का भी होने वाला है। यही कारण है कि सक्षम परिवारों तथा बुद्धिजीवी अवसरों के ही लाभ प्राप्त लोग आरक्षण की आवाज लगााने में आगे–आगे हैं। न तो अक्षम लोग आरक्षण की आवाज में षामिल हैं न ही श्रम प्रधान रोजगार के लिए ऐसी कोई माग उठ रही है। गरीबी या श्रम प्रधान रोजगार के विरूद्ध राजनीतिक षक्ति या सरकारी नौकरियों की छीना– झपटी में महिला आरक्षण के नाम पर अपने परिवार के लिए कुछ अधिक बटोर लेने का नाम ही महिला सषक्तिकरण हो गया है।

मैं मानता हूं कि हजारों वशों की समाज व्यवस्था में महिलाओं के पक्ष में संषोधनों की आवष्यकता है। इन संषोधन के लिए महिला समानता के सामाजिक प्रयत्नों के साथ साथ कुछ कानूनी प्रयत्न भी आवष्यक है। इनमें महिलाओं को पारिवारिक सम्पत्ति में समान अधिकार एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे आज तक न लागू किया गया न मांग उठी हैं। किन्तु मै महिला सषक्तिकरण के लिए कानूनों द्वारा विषेश अधिकार दिये जाने को घातक मानता हूं।

समाज व्यवस्था की कमजोरियों ने समाज में सामाजिक अन्याय पैदा किया है यह सच है। किन्तु सामाजिक कमजोरियों के जितने दुश्परिणाम

हजारों वशों के बाद दिखे हैं उससे अधिक दुश्परिणाम कानूनी व्यवस्था में पचास वर्श में ही दिखने लगेंगे। कानूनी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की सहायक तो हो सकती है किन्तु विकल्प बनाने का प्रयास घातक होगा। साम्यवादी और पूंजीवादी विदेषी संस्कृतियां भारत की परिवार व्यवस्था पर लगातार आक्रमण कर रही है। महिलाओं को वर्ग के रूप में स्थापित करना उनके लिए बहुत सुविधाजनक है और इस कार्य के लिए सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर कानूनी व्यवस्था की स्थापना उनके लिए बहुत आसान मार्ग है। सबसे अधिक कश्ट कारक स्थिति तो यह है कि इन विदेषी परिवार तोडक विचारों ने भारतीय सामाजिक संस्थाओं में भी अपने धन या अन्य प्रलोभनों के द्वारा घुसपैठ बना ली है। ये सामाजिक संस्थाएं भी समाज की सामाजिक कमियों को दूर करने की अपेक्षा इसके लिए कानूनी हस्तक्षेप का आह्वान करती है। ये संस्थाएं समाज को अधिक गुमराह कर रही हैं।

मैं इस लेख के द्वारा समाज को सतर्क करना चाहता हूं कि समाज व्यवस्था की अपेक्षा राजनैतिक व्यवस्था कम टिकाउ भी होगी और अधिक घातक भी। यदि समाज व्यवस्था में विकृतियां हजारों वशों में आई हैं तो राजनैतिक व्यवस्था दस–बीस वशों में ही विकृत हो जाएगीं। राजनीति से जुडे लोग बहुत तेज गति से सामाजिक व्यवस्था पर नियंत्रण करने की लूट में लगे हुए है। ये सामाजिक व्यवस्था को सामाजिक न्याय की दिषा में कितना बढा सकेगें यह तो निष्चित पता नही किन्तु समाज व्यवस्था परिवार व्यवस्था को इतना क्षत–विक्षत कर देंगे कि हम लम्बे समय तक उसके दुश्परिणाम भोगते रहेगें। इसलिए समाज को इस संबंध में सावधानी पूर्वक कदम उठाना चाहिए।

आमंत्रण

25 दिसम्बर 2008 को मैने व्यवस्था परिवर्तन ट्रस्ट को स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया था और घोशणा की थी कि ट्रस्ट के निर्देषन में भविश्य में काम करूगा। उस दिन मैने सभी प्रकार के धन, पद, या अन्य संबंधो से भी मुक्त मानने की घोशणा की थी। मेरी घोशणा के बाद ट्रस्ट ने एक बैठक करके नई व्यवस्था होते तक मुझे इसी तरह काम करते रहने की सलाह दी थी। तदनुसार दो प्रकार के संगठन वर्तमान में कार्यरत हैं 1. लोक स्वराज्य अभियान 2. ज्ञान यज्ञ परिवार । दोनो का संगठन का ढाचा

अलग–अलग है तथा कार्य प्रणाली भी अलग–अलग है। लोक स्वराज्य अभियान लोक तंत्र को लोक नियुक्त तंत्र से लोक नियंत्रित तंत्र में बदलने का अभियान चला रहा है। तथा ज्ञान यज्ञ परिवार ज्ञान तत्व विस्तार में लगा हुआ है जिसका आषय है प्रत्येक ब्यक्ति में ज्ञान का विस्तार करना ।

समाज में दो प्रकार के लोग है 1. बुद्धि प्रधान 2. भावना प्रधान। बुद्धि प्रधान लोग लोक स्वराज्य अभियान से ज्यादा जुड रहे हैं जो षासन मुक्ति की दिषा में आंदोलन की राह पर चल रहा है। ज्ञान यज्ञ परिवार के साथ भावना प्रधान लोग अधिक जुड रहें है जो समाज सषक्ति करण की दिषा में चल रहें हैं। समाज सषक्त तभी होगा जब प्रत्येक ब्यक्ति के स्वयं सोचने की ताकत बढेगी । इस कार्य के लिए 1सितम्बर से दोनो दिषाओं में अलग–अलग अभियान षुरू किया जा रहा है। लोक स्वराज्य अभियान का विस्तृत कार्यक्रम आपको सेवा ग्राम कार्यालय या दिल्ली कार्यालय से मिलता रहता है। ज्ञान यज्ञ परिवार का कार्यक्रम आपको अम्बिकापुर कार्यालय से भेजा जा रहा है। दिनांक 29 एवं 30 अगस्त को दिल्ली के निकट नोएडा अग्रसेन भवन सेक्टर 33 प्रकाष हास्पीटल के पास में ज्ञान यज्ञ परिवार की एक बैठक या सम्मेलन आयोजित है जिसमे पूरे देष से अपने लोगोंको षामिल होना चाहिए। इस सम्मेलन में पहले दिन 29 तारीख को तीन सत्र रखे जाएगे पहला सत्र 9.30बजे से 1बजे तक चलेगा जिसमें ज्ञान यज्ञ की विधि पर पूरी चर्चा होकर होगी दूसरा सत्र 2.30 बजे से षुरू जो 4.30बजे तक चलेगा इस सत्र में ज्ञान यज्ञ के संगठन संबंधी चर्चा होगी तीसरा सत्र 5बजे से 8 बजे तक चलेगा इस सत्र में ट्रस्ट की वैठक होगी दूसरे दिन 30 अगस्त को सुबह 8.30 बजे से 1बजे तक देष भर में होने वाले ज्ञान यज्ञों की रूपरेखा बनेगी 2.30 बजे से 5बजे तक लोक स्वराज्य अभियान की बैठक होगी और 5 बजे के बाद मेरा समापन भाशण होगा मेरा समापन भाशण होने के बाद सम्मेलन समाप्त हो जाएगा।

यह सम्मेलन मुख्य रूप से ज्ञान यज्ञ परिवार की व्यवस्था के अंतर्गत है फिर भी एक एक सत्र ट्रस्ट एवं लोक स्वराज्य अभियान के लिए भी रखा गया है। इन दो दिनों के सम्मेलन में सैंद्धान्तिक चर्चा न करके सिर्फ योजनाओं पर चर्चा करनी है इस लिए प्रत्येक सत्र में सैंद्धान्तिक चचाओं तथा बहस से बचा जाएगा। 25 दिसम्बर के बाद अब कार्य षुरू करने का समय आ गया है इसलिए अबतक निकले निश्कर्श के आधार पर कार्ययोजना बनानी है। ज्ञान तत्व विस्तार के लिए एक वर्श का कार्यक्रम इस तरह बनाया जा रहा है कि

25 विशयों पर विचार मंथन को केन्द्रित किया जाए इनमें 12 विशय ऐसे हैं जो बौद्धिक ,राजनैतिक , आर्थिक संवैधानिक है उनकी सूची इस प्रकार है।

1. लोक स्वराज्य क्या, क्यो, और कैसे अथवा लोक स्वराज्य लोक तंत्र और तानाषाही।
2. भारतीय संविधान
3. वर्ग संघर्श या वर्ग समन्वय
4. आर्थिक समस्याए और समाधान
5. अपराध और अपराध नियंत्रण
6. नई संवैधानिक व्यवस्था का स्वरू
7. भ्रश्टाचार और भ्रश्टाचार नियंत्रण
8. हमारी कर प्रणाली
9. महगाई यथार्थ या कल्पना
10. बेरोजगारी और समाधान
11. आतंकवाद कारण और निदान
12. पूंजीवाद साम्यवाद या समाजवाद

अन्य 13 ऐसे विशय चुने गए है जो सामाजिक ,पारिवारिक धार्मिक या भावनात्मक हैं वे विशय इस प्रकार हैं

1. भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप
2. आरक्षण कितना समाधान कितनी समस्या
3. महिला उत्पीडन कितना भ्रम कितना यथार्थ
4. संयुक्त परिवार प्रणाली
5. जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था
6. अहिंसा सिद्धांत या व्यवहार
7. विवाह पद्धति
8. व्यक्ति परिवार समाज के अधिकारों की सीमाएं
9. धर्म समाज और राज्य
10. मानव स्वभाव ताप बृद्धि
11. चरित्र निर्माण या व्यवस्था परिवर्तन
12. षोशित कौन
13. षिक्षा व्यवस्था राज्य की या समाज की

इन 25 विशयों पर विचार मंथन होगा लेकिन ज्ञान यज्ञ परिवार का अपना कोई निश्कर्श नहीं होगा। ध्यान रखना होगा कि हम किसी विचार धारा का प्रचार प्रसार करने नहीं जा रहें है बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं की चिंतन षक्ति बढे ऐसा मार्ग बताने जा रहें हैं। ज्ञान यज्ञ परिवार ज्ञान तत्व विस्तार के लिए 6 दिषाओं में सक्रिय होगा।

1. साधना टी वी चैनल में एक सितम्बर से प्रतिदिन दोपहर 2 बजे के करीब जिसका निष्चित समय बाद में बताया जाएगा, इन विशयों पर मेरा प्रवचन तथा प्रष्नोत्तर प्रसारित होगा।
2. एक बेवसाइड बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से ऐसे विशय समाज तक दिखाए जाएगें।
3. ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका में बहुत तेजी से विस्तार किया जाएगा और उसमें विचार मंथन भी प्रकाषित होगा।
4. बडी मात्रा में सी.डी. बनाकर उपलब्ध कराया जाएगा और अन्य कैसेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. प्रत्येक विशय पर पुस्तक भी तैयार होगी।
6. ज्ञान यज्ञ के माध्यम से या लोक स्वराज्य संवाद में षामिल होकर प्रत्यक्ष विचार मंथन होगा।

प्रयत्न किया जाएगा कि इन 6 माध्यम से अधिक से अधिकक लोगों का ज्ञान तत्व बढे। छत्तीसगढ के सरगुजा संभाग में तो सघन ज्ञान यज्ञ अभियान चलाया जाएगा देष के अन्य भागों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।

मैने तो अपना सारा समय इस कार्य के लिए दिया ही हुआ है और भी कई लोग आंषिक समय देने के लिए तैयार हो रहे है। 29 एवं30 अगस्त को आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस वैठक में षामिल हों जिससे सभी संगठनों का अलग–अलग ढाचा, कार्यक्रम, सक्रियता और सीमाएं स्पश्ट हो जाएं । मैं पुन इस कार्यक्रम के लिए आपको सादर आमंत्रित करता हूॅ।

बजरंग मुनि